<u>लोक–सुनवाई का वृत</u>

मेसर्स मुकेश कुमार, प्रस्तावक, श्री मुकेश कुमार, पिता–श्री शरण सिंह, ग्राम–सैदपुर, पो0–अलीनगर, थाना–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक–01 बालू घाट, मौजा–टोला औरैया प्रखंड–झाझा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 23.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार झाझा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा मेसर्स राकेश कुमार, प्रस्तावक श्री राकेश कुमार, पिता–श्री गोपाल पासवान, ग्राम–सैदपुर, पो0–अलीनगर, थाना–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय को (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2270/2023, दिनांक 02.02.2023 के द्वारा टी0ओ0आर0 निर्गत है जबकि मेसर्स मुकेश कुमार, प्रस्तावक श्री मुकेश कुमार, पिता–श्री शरण सिंह, ग्राम–सैदपुर, पो0–अलीनगर, थाना–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, तथा पर्षद् में लोक–सुनवाई हेतु आवेदन तथा डिमांड ड्राफ्ट श्री मुकेश कुमार, मेसर्स मुकेश कुमार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। लोक–सुनवाई रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना'' एवं ''हिन्दुस्तान'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **20.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक–01 बालू घाट, मौजा–टोला औरैया, प्रखंड–झाझा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री मुकेश कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 01 में 15.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 193440 टन बालू का खनन प्रस्तावित है।

इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹100.975 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 01 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री ललन कुमार, ग्राम–रजला, जिला–जमुई के द्वारा पुछा गया कि परियोजना से कितने लोगों को और कब तक रोजगार प्राप्त होगा।	23 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। जो परियोजना अवधि में 250 दिन प्रतिवर्ष के लिए होगा। इसके अतिरिक्त कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2.	श्री मुनीश्वर यादव, ग्राम–रजला, जिला–जमुई के द्वारा पुछा गया कि परियोजना में कितनी गहराई तक खनन किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर तक ही गहराई करने का प्रावधान है।
3.	श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम–रजला, जिला–जमुई के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने का अनुरोध किया गया तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिया जायेगा, साथ ही कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमित रूप से सड़कों पर जल–छिड़काव तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण कराया जायेगा। प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष, 155 वृक्ष इस परियोजना के तहत लगाये जाने का प्रस्ताव है।
4.	श्री रविशंकर कुमार, ग्राम–रजला, जिला–जमुई के द्वारा वृक्षारोपण की संख्या 10 वृक्ष प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 20 वृक्ष प्रति हेक्टेयर करने का अनुरोध किया गया।	प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष, 155 वृक्ष इस परियोजना के तहत लगाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक को इस संबंध में प्रस्ताव देकर पर्यावरण प्रबंधन योजना मद के तहत अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कराने का अनुरोध किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता

पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

24-6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

24/6/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स मुकेश कुमार, पिता-श्री शरण सिंह, ग्राम-सैदपुर, पो०-अलीनगर, थाना-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय द्वारा जमुई उलाई नदी ब्लॉक 01 बालू घाट, मौजा-टोला औरैया, ब्लॉक-झाझा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **23.06.2023** को पूर्वाहन् **11:00** बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार झाझा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (PGR) Cum DPGRO Jamui	[signature] 23/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur. Bihar State Poll. Control Board	Shambhu 23-6-23
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 23/06/2023
4.	S P Sinha	mines inspector	[signature] 23/06/2023
5.	Anish Kumar	Asst Scientific officer BSPCB, Bhagalpur	Anish 23/06/2023
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environmental Consultant P & M Solution (Noida)	Rajesh
7.	मुकेश कुमार	सैदपुर लखीसराय	मुकेश कुमार
8.	मुकेश प्रसाद	औरैया	मुकेश प्र०
9.	Runjeet singh	औरैया	R Sing
10.	Kalam Kumyar	Phagla	Kalam Kumyar
11.	इन्दु शर्मा	औरैया	इन्दु शर्मा

12.	मुनेश्वर यादव	रजला औरैया	मुनेश्वर यादव
13.	श्रवण कुमार	औरैया	श्रवण कुमार
14.	दिनेश कुमार	इरवा	दिनेश कुमार
15.	पवन सिंह	औरैया	पवन सिंह
16.	राजेन्द्र मंडल	[illegible]	राजेन्द्र मंडल
17.	गोविन्द सिंह	औरैया	[signature]
18.	[illegible]	औरैया	[signature]
19.	रामजी यादव	औरैया	[signature]
20.	पियूष कुमार	औरैया	पियूष कुमार
21.	मुकेश कुमार	औरैया	मुकेश कुमार
22.	mukesh kumar	औरैया	mukesh kumar
23.	मौन्टी कुमार	औरैया	Monty
24.	[illegible]	औरैया	[illegible]
25.	अभिषेक मंडल	औरैया	अभिषेक मंडल
26.	दीपक कुमार	औरैया	दीपक कुमार

27.	Sulkmu	Oriya n.	Su Ku.
28.	विजय कुमार	औरैया	विजय कुमार
29.	मुरारी कुमार यादव	रुरुआ औरैया	Murari Kumar
30.	सुमित हाँसदा	औरैया	सुमित हाँसदा
31.	महेश हाँसदा	औरैया	महेश हाँसदा
32.	दिनेश कुमार यादव	औरैया	Dinesh kumar y.
33.	सुरेश यादव	औरैया	सुरेश यादव
34.	देवेश यादव	औरैया	देवेश यादव
35.	राहुल कुमार	टोला औरैया	Rahul Kumar
36.	सौरभ सिंह	टोला औरैया	Saurav Singh
37.	रोशन कुमार	टोला औरैया	Roshan Kr
38.	रुपेश कुमार	टोला औरैया	Rupesh kumar
39.	अनुज कुमार	टोला औरैया	Anuj Singh
40.	विपुल कुमार	टोला औरैया	Beeply
41.	Sandeep Kumar	रुरुआ औरैया	Sandeep

42.	कुन्दन कुमार	लक्खीसराय	कुन्दन कुमार
43.	रविशंकर कुमार	रजला औरैया	रविशंकर कुमार
44.	सूरज सिंह	लक्खी सराय	[signature]
45.	शैलेन्द्र सिंह	जिला औरैया	शैलेन्द्र सिंह
46.	प्रेम कुमार	जिला औरैया	प्रेमकुमार
47.	प्रकाश यादव	औरैया	प्रकाश यादव
48.	Laxman Yadav	Auraiya	Laxman Yadav
49.	रोहित कुमार	जिला औरैया	रोहित कुमार
50.	Avinash Kumar	Auriya	Avinash Kumar
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			